भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4573
दिनांक 27 मार्च, 2025

रिटेल आउटलेट डीलरों के लिए दिशानिर्देश

†4573. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम कम्पनियों ने रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप निर्माण/विकास के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पेट्रोलियम कम्पनियों ने एमएस/एचएसडी भूमिगत टैंक के निर्माण के लिए रिटेल आउटलेट डीलरों के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पेट्रोलियम कम्पनी और आशय पत्र (एलओआई) डीलर के बीच रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप विकास के लिए कार्य समझौतों का ब्यौरा क्या है और साथ ही विक्रेता अनुबंध के माध्यम से रिटेल आउटलेट पर पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप विकास संबंधी पूरी प्रक्रिया क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) के लिए डीलर चयन दिशानिर्देश (डीएसजी) में अन्य बातों के साथ-साथ आरओ के विकास के लिए प्रावधान विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें कार्य का दायरा, खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रकार, जैसे 'ए' साइट (कंपनी नियंत्रित- सीसी) और 'बी' साइट (डीलर नियंत्रित - डीसी) के अनुसार डीलर और ओएमसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं शामिल हैं। डीएसजी के अनुसार, पेट्रोलियम नियम 2002 के नियम 131 के अन्तर्गत पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित आरओ की लेआउट योजना के अनुसार पीएसयू ओएमसीज द्वारा एमएस/एचएसडी भूमिगत टैंक 'सीसी' और 'डीसी' दोनों प्रकार के आरओज में प्रदान और स्थापित किए जाते हैं।

डीएसजी के अनुसार, डीलर (ओएमसी द्वारा विनिर्दिष्ट)/ओएमसी द्वारा आरओ पर साइट के प्रकार ("ए"/ "सीसी","बी"/"डीसी") के आधार पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं;

क.सं.	सुविधा का प्रकार	साइट का प्रकार	
		सीएफएस स्थानों सहित "ए"/"सीसी" साइट	"बी" "डीसी" साइट कंपनी की पट्टे पर दी गई साइट
		सुविधा का प्रावधान:	
ए	बुनियादी सुविधाएं:		
i	ओएमसी के अनुसार विनिर्देशित विकसित भूमि जिसमें प्रवेश/निकास/एक्सेलरेशन/डी-एक्सेलरेशन/चाहरदीवारी के साथ सेवा सड़क/अहाता/रिटेंशन शामिल हैं	डीलर	डीलर

ii	टैंक, डिस्पेंसिंग यूनिट, साइनेज, ऑटोमेशन आदि।	ओएमसी	ओएमसी
iii	बिक्री कार्यालय, स्टोर रूम, शौचालय, विद्युत कक्ष, विद्युत कनेक्शन (ओएमसी द्वारा बताई गई क्षमता के अनुसार), जल कनेक्शन, यार्ड प्रकाश व्यवस्था, आदि।	ओएमसी	डीलर
iv	जेनरेटर/इन्वर्टर	डीलर	डीलर
v	वायु भरने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेज के साथ कंप्रेसर (ओएमसी द्वारा तय)	ओएमसी/डीलर	डीलर
vi	ड्राइववे	ओएमसी	डीलर
vii	कैनोपी (कॉर्पोरेशन की आवश्यकता के अनुसार)	ओएमसी	डीलर
बी	ग्राहक के निमित्त सुविधाएँ		
i	स्वच्छ पेय जल, साफ सुथरे शौचालय का रखरखाव, दूरभाष आदि	डीलर	डीलर

ग्राहक सेवा के लिए आवश्यक साइट विशिष्ट अतिरिक्त सुविधाएँ जैसेकि स्टाफ़-कम-चेंज रूम, सर्विस स्टेशन, रेस्ट रूम, रेस्टोरेंट, पीयूसी सुविधा और/अन्य सुविधाएँ जो समय-समय पर ओएमसी द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं, ओएमसी/डीलर द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान की जानी चाहिए। वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार डीलर 'सीसी' और 'डीसी' दोनों प्रकार के आरओ में अग्निशमन/सुरक्षा उपकरण प्रदान करता है।

डीलर द्वारा किए जाने वाले कार्यों का दायरा डीलर को जारी किए गए आशय पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। डीलर और ओएमसी के दायरे में आने वाले कार्य क्रमशः डीलर और ओएमसी द्वारा नियुक्त संविदाकार द्वारा किए जाते हैं।

खुदरा बिक्री केन्द्र को पीईएसओ सहित संबंधित प्राधिकरणों से अपेक्षित वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद चालू/प्रचालित किया जाता है।

****